कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, हनुमानगढ

प्रकरण संख्या:–10/2019 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

श्री हीना कौशर तलाई के पास दर्गा रोड, गांव कुमारी तहसील व जिला नागौर।
––अपीलार्थीया

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़
––प्रत्यार्थी

आदेश

दिनांक:–04.04.2019

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ के सम्बन्ध में प्राप्त हुई।

अपीलार्थीया के अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ से बिन्दू संख्या 1 से 4 तक सूचना की मांग की गई। लोक सूचना अधिकारी ने पत्र कमांक 21995 दिनांक 30.01.2019 से सूचना भ्रम में डालने वाली एवं अपूर्ण सूचना भिजवाये जाने तथा सूचना प्रमाणित नही होने पर अपीलार्थीया द्वारा सूचना बिना प्रभार के उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील की है।

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ से पत्र कमांक 24325 दिनांक 18.03.2019 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ जिसकी प्रति अपीलार्थीया को सूचनार्थ प्रेषित की गई है।

अपीलार्थीया के प्रार्थना पत्र दिनांक 29.03.2019 का अवलोकन करने से पाया गया है कि अपील दिनांक 9.3.2019 में लिखित बिन्दुओ की ओर ध्यान करे कि बिन्दुओ में क्या मांग की हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थीया के अपील पर दिनांक 08.03.2019 अंकित होना पाया गया है। अपील में अंकित बिन्दु निम्नानुसार है। (1) प्रेषित रजिस्टर्ड पत्र आरआर 88838686 आईएन दिनांक 31.10.2018 को जिला हनुमानगढ के पोस्ट ऑफिस से भिजवाया गया रजिस्टर्ड पत्र उसी जिले के पोस्ट ऑफिस से उसी जिले में ही दिया जाना था तो नियमानुसार 2 दिवस में पत्र जिला रसद अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त होना प्रतीत है। सूचना गलत दी गई। (2) प्रार्थीया के प्रेषित रजिस्टर्ड पत्र आरआर 88838686आईएन दिनांक 31.10.2018 के संबंध में जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ के द्वारा दोषी व दोषी के साथ हितबद्व व्यक्तियो के विरूद्व कोई मुकदमा ही दर्ज नही करवाया गया। जबकि समस्त साक्ष्य व सबूत जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को उपलब्ध करवाये गये है। (3) प्रार्थीया द्वारा मांग की गई सूचना/दस्तोवजो के संबंध में भ्रम में डालने वाली एवं अधूरी सूचना उपलब्ध करवाई। (4) उपलब्ध करवाई गई सूचना प्रमाणित नही है।

जिलाा रसद अधिकारी, हनुमानगढ के पत्र क्रमांक 24325 दिनांक 18.03.2019 के साथ संलग्न पत्र कमांक 21995 दिनांक 30.1.2019 की प्रति का अवलोकन करने से इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 07.01.2019 के अनुसार सूचना अपीलार्थीया को प्रेषित किया जाना पाया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार आवेदन तिथि को अभिलेखो में जो सूचना जिस रूप में उपलब्ध होती है उसी रूप में ले सकता है। सूचना कीयट (Create) कर उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान नही है। जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पत्रांक 21995 दिनांक 30.01.19 से अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है। जहां तक प्रेषित की गई सूचना प्रमाणित नही है तो जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देश दिये जाते है कि पत्रांक 21995 दिनांक 30.01.19 से अपीलार्थीया को भिजवाई गई सूचना (सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत) प्रमाणित नही है तो सूचना नियमानुसार प्रमाणित कर भिजवाई जावे। अतः अपीलार्थी की यह अपील उक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एंव जिला कलक्टर
हनुमानगढ